रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 20 मार्च, 2004/30 फाल्गुन, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 16 मार्च, 2004

संख्या गृह–बी (बी) 2–4/2002.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (2003 का 10) की धारा 4 की उप–धारा (1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 233, 234 और अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त उन्हें सशक्त बनाने के लिए अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के विभिन्न संवर्गों के सदस्यों की भर्ती एवं सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए

4450–राजपत्र/2004–20–3–2004––1,506. (3777) मूल्य : एक रुपया।

निम्नलिखित नियम बनाते हैं:--

नियम–1

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, 2004 है ।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

नियम–2

परिभाषाएं.--(1) इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(ग) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "राज्यपाल" से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(ङ) "उच्च न्यायालय" से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय अभिप्रेत है;

(च) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश या किसी भी अन्य नाम से जाना जाने वाला हिमाचल प्रदेश सरकार का राजपत्र अभिप्रेत है;

(छ) "विनियम" से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय द्वारा इन नियमों के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं :--

(i) उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीशों/अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के संवर्ग और सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ डिवीजन) के संवर्ग की प्रतियोगी परीक्षा और उपयुक्तता परीक्षण के लिए पाठ्यक्रम निहित करना,

(ii) जिला न्यायाधीशों/अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के संवर्ग और सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ डिवीजन) की लिखित परीक्षा के साथ–साथ मौखिक परीक्षा के लिए अंकों का आबंटन,

(iii) जिला न्यायाधीशों (कनिष्ठ डिवीजन) की मौखिक परीक्षा का संचालन करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को विशेषज्ञों का पैनल भेजना,

(iv) हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के विभिन्न संवर्गों की विभागीय परीक्षाओं के लिए पाठ्य क्रम विहित करना तथा विभागीय परीक्षाएं संचालित करना,

(v) सेवा में सीधी भर्ती एवम् प्रोन्नति द्वारा सभी नियुक्तियों की बाबत परिवीक्षा या स्थानापन्न की अवधि के दौरान, यदि कोई, विशेष परीक्षा या परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित है तो उनके लिए पाठ्यक्रम विहित करना तथा उनका संचालन करना,

(vi) जिला न्यायाधीशों/अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के संवर्ग के लिए उच्च न्यायालय द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकारियों के निष्पादन का मूल्यांकन करना और अंक प्रदान करना,

(vii) सेवा में नियुक्ति के लिए आवेदन देने के लिए आवेदन का प्रारूप (फारमैट) विहित करना,

(viii) विभागीय और विशेष परीक्षाओं या परीक्षणों की बाबत अधिकारियों (सेवा में नियुक्त) के निष्पादन का मूल्यांकन करना,

(ix) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त अधिकारियों के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण सारणियों (शैड्यूल) विहित करना,

(ज) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(झ) "सेवा" या "राज्य सेवा" से हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा अभिप्रेत है; और

(ञ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, परन्तु इनमें परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

नियम–3

सेवाओं का गठन.–(1) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख पर, और से, हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के नाम से ज्ञात एक राज्य सेवा का गठन किया जायेगा जो जिला न्यायाधीशों, सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ डिवीजन) और सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) से गठित होगा।

(2) सेवा, अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट संवर्गों से गठित होगी और इन प्रत्येक संवर्गों में पदों का स्वरूप और संख्या ऐसी होगी जैसी उनके स्तम्भ 3 से 5 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट होगी। अनुसूची, संवर्ग में पदों के स्वरूप और संख्या में फेरबदल या उपांतरण करते हुए या इस निमित्त अन्य आदेश पारित करते हुए समय–समय पर उच्च न्यायालय के परामर्श से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के आधार पर और इसके अनुसार स्वतः ही संशोधित समझी जाएगी।

(3) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से नीचे स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट विद्यमान संवर्ग निम्न स्तम्भ (1) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट संवर्ग के रूप में अभिहित होगी और यह तदनुसार सेवा का गठन करेंगे।

(1)	(2)
(क) जिला न्यायाधीश/अति0 जिला न्यायाधीश	(i) जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ii) अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(ख) सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ डिवीजन)	(i) वरिष्ठ उप–न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट। (ii) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट
(ग) सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)	(i) उप–न्यायाधीश एवं न्यायिक मैजिस्ट्रेट

(4) जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में पदों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत पदों के धारकों को, जिनकी संवर्ग में सेवा 5 वर्षों से कम न हो, चयन ग्रेड प्रदान किया जाएगा और उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों के संवर्ग से गुणागुण एवं वरिष्ठता के आधार पर इस ग्रेड में शामिल/स्थानापन्न करने के लिए चयनित किया जाएगा और ऐसे जिला न्यायाधीशों को जो चयन ग्रेड में रखे गये हैं चयन ग्रेड में जिला न्यायाधीश के नाम से जाना जायेगा। जिला न्यायाधीशों के संवर्गों में पदों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत

धारकों को जिनकी संवर्ग में चयन ग्रेड जिला न्यायाधीशों के रूप में 3 वर्ष से कम की सेवा न हो, वेतन का सुपर टाइम वेतनमान प्रदान किया जायेगा। वे उच्च न्यायालय द्वारा गुणागुण एवं वरिष्ठता के आधार पर इस वेतनमान के लिए चयनित किये जायेंगे और उन्हें "सुपर टाइम वेतनमान जिला न्यायाधीश" के नाम से जाना जायेगा।

नियम–4

नियुक्ति प्राधिकारी.–(1) जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(2) सिविल न्यायाधीशों (सीनियर डिवीजन) को, गुणागुण एवं वरिष्ठता के आधार पर, उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रोन्नत किया जायेगा। सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जायेंगे।

नियम–5

भर्ती की पद्धति, अर्हता और आयु सीमा.–निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट पदों के प्रत्येक प्रवर्ग की बाबत, भर्ती की पद्धति और न्यूनतम अर्हता, आयु सीमा इत्यादि ऐसी होगी जो स्तम्भ (3) और (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट है:–

नियम–5 के अधीन सारणी

क्रमांक	संवर्ग	भर्ती की पद्धति	अर्हतायें, आयु सीमा और अनुभव इत्यादि
1	2	3	4
1.	जिला न्यायाधीश/ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश।	(क) पच्चीस प्रतिशत, सिविल न्यायाधीशों (सीनियर डिवीजन) में से गुणागुण एवं वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर और उपयुक्तता परीक्षण जैसा कि विनियमों	सिविल न्यायाधीशों (सीनियर डिवीजन) के संवर्ग में दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अवश्य होने चाहिए।

1	2	3	4
		के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा विहित और संचालित किया जाए, उत्तीर्ण करने पर, प्रोन्नति द्वारा।	
		(ख) पच्चीस प्रतिशत, सिविल न्यायाधीशों (सीनियर डिवीजन) में से, गुणागुण के आधार पर सीमित प्रतियोगी परीक्षण, जैसा कि विनियमों के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा विहित और संचालित किया जाये, के माध्यम से, प्रोन्नति द्वारा।	5 वर्षों की न्यूनतम सेवा जिसमें सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के संवर्ग में की गई सेवा भी सम्मिलित है।
		(ग) 25 प्रतिशत, पात्र अधिवक्ताओं में से, लिखित परीक्षा सहित मौखिक परीक्षण, (वाइवा वोस) जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा विनियमों के अनुसार विहित और संचालित किया जाए, के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।	अर्हताओं, आयु सीमा और अनुभव इत्यादि सहित पात्रता मापदण्ड निम्नलिखित होंगे:– (i) भारत का नागरिक, (ii) भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा यथा मान्यता प्राप्त विधि में डिग्री का धारक हो, (iii) आवेदनों की प्राप्ति हेतु नियत अन्तिम तारीख को 7 वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए विधि का व्यवसाय करने वाला अधिवक्ता हो।

1	2	3	4
			टिप्पण.– इस खण्ड के प्रयोजन के लिए उस अवधि की संगणना में, जिसके दौरान कोई व्यक्ति अधिवक्ता रहा हो, कोई भी वह अवधि भी उसमें सम्मिलित होगी जिसमें उसने न्यायिक पद (जूडिशियल आफिस) धारण किया हो। स्पष्टीकरण–I.– न्यायिक पद (जूडिशियल आफिस) के अन्तर्गत अन्य कोई ऐसा पद है जो इस प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये विनियमों में इसके समतुल्य विहित कियां गया हो। (iv) आवेदनों की प्राप्ति के लिए अन्तिम विहित तारीख को 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और जिसने 45 वर्ष की आयु न प्राप्त की हो। स्पष्टीकरण–II.— प्रवर्ग (क), (ख) और (ग) में से, जिला न्यायाधीशों के संवर्ग के लिए नियुक्तियां, इस निमित्त उच्च न्यायालय द्वारा बनाए रखे जाने वाले 40 बिन्दु रोस्टर के अनुसार की जाएंगी।
2.	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)।	गुणागुण एवं वरिष्ठता के आधार पर सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) के संवर्ग से, प्रोन्नति द्वारा।	सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) के संवर्ग में 5 वर्ष का न्यूनतम अनुभव। टिप्पण.– नियुक्ति प्राधिकारी, उन स्थितियों में जहां उक्त वांछित अनुभव रखने वाले सिविल न्यायाधीश

1	2	3	4
			(जूनियर डिवीजन) उपलब्ध न हों। उपरोक्त न्यूनतम अनुभव मापदण्ड में ढील दे सकेगा किन्तु किसी भी स्थिति में तीन वर्ष से नीचे ढील नहीं दी जाएगी।
3.	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)।	हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित लिखित सहित मौखिक परीक्षण में ऐसी प्रतियोगिता में प्राप्त की गई गुणागुण के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।	अर्हताओं और आयु इत्यादि को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित पात्रता मापदण्ड होगा:– (i) भारत का नागरिक, (ii) भारत की विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विधि में उपाधि (डिग्री) धारक हो, (iii) आवेदनों की प्राप्ति की विहित अंतिम तारीख को न्यूनतम 22 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष और अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य विहित आरक्षित वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले अभ्यर्थियों की स्थिति में 33 वर्ष: परन्तु सेवा में सीधी नियुक्तियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सेवा में आरक्षण सम्बन्धी समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अध्याधीन होगी और यह आदेश ऐसी नियुक्तियों के लिए उच्च न्यायालय के परामर्श से लागू किए जाएंगे।
			टिप्पण.— 1 (ग) या उक्त 3 में उल्लेखित पद के लिए सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी आवेदन के साथ उससे सम्बन्ध न रखने वाले प्रतिष्ठित दो व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण–पत्र, जो उसके चरित्र और अच्छे व्यवहार तथा पूर्ववृत को प्रमाणित करते हों, प्रस्तुत करेगा।

नियम–6

नियुक्ति के लिए निरर्हता और आवेदन का प्रारूप (फॉरमैट).––(1) कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

(क) यदि उसे किसी पूर्ववर्ती सेवा से पदच्युत किया गया है;

(ख) यदि उसे किसी नैतिक अधमता से अन्तर्विलित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो या दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन सदाचरण के लिए आबद्ध किया गया है या किसी परीक्षा में बैठने या चयन से स्थाई रूप से विवर्जित/निरर्हित किया गया है;

(ग) यदि उसे या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी रीति में चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला पाया गया है;

(घ) यदि वह पुरुष हो, उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या यदि वह महिला है तो उसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक और पत्नी हो; और

(ङ) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है।

(2) सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, विनियमों में विहित किए जाने वाले प्रारूप (फॉरमैट) में आवेदन के निचले भाग पर घोषणा करेगा कि वह उपरोक्त निरहर्ताओं में से किसी से ग्रस्त नहीं है और यह भी कि वह सम्पूर्ण पात्रता मापदण्ड (क्राईटेरिया) को पूरा करता है। घोषणा में उसकी प्रतिज्ञा भी होगी कि यदि इसे असत्य या अशुद्ध पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द किये जाने को दायी होगी या यदि उसे नियुक्त किया गया हो तो उसकी नियुक्ति को भी बातिल (रद्द) किया जाएगा।

नियम–7

वेतन और भत्ते.––(1) न्यायिक अधिकारियों की, अनुसूची के स्तम्भ संख्या 6 में, यथा विनिर्दिष्ट वेतनमान दिये जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी अनुज्ञेय होंगे :

परन्तु सेवा का कोई भी सदस्य अपनी पश्चात्वर्ती वार्षिक वेतनवृद्धि को लेने का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि विहित मानदण्ड द्वारा, विभागीय परीक्षा को पास नहीं कर लेता।

स्पष्टीकरण.—(i) विभागीय परीक्षा पास न करने के लिए वेतनवृद्धि की रोक, शास्ति नहीं मानी जाएगी।

(ii) न्यायिक अधिकारी, यदि परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा पास कर लेता है तो उसकी वेतनवृद्धियां या वेतनवृद्धियां भूतलक्षी रूप से देय तारीख को निर्मुक्त (दे दी) कर दी जाएगी।

(iii) सेवा के सदस्यों का वेतन, जहां आवश्यक हो, समय–समय पर हिमाचल प्रदेश में प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों के अधीन नियत किया जाएगा बशर्ते जहां सदस्य की वेतन वृद्धि उसके विभागीय परीक्षा पास करने में असफल रहने पर रोक दी गई है तो वह विहित मानदण्ड द्वारा विभागीय परीक्षा पास करने से पूर्व सेवा में अपनी नियुक्ति से पूर्व उस द्वारा धारण किए गए पद के टाईम वेतनमान में अपनी अधिष्ठायी या स्थानापन्न वेतन में वृद्धि के आधार पर वेतन के पुनःनिर्धारण का हकदार नहीं होगा। तथापि, इस अवधि के दौरान समय–समय पर उसे उसका अधिष्ठायी वेतन दिया जा सकेगा यदि वह सेवा में उसके स्थानापन्न वेतन से अधिक होता है।

नियम–8

जिला न्यायाधीशों और सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) के पदों के लिए सीधी नियुक्ति.––उच्च न्यायालय प्रतियोगी परीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् जैसी इसके द्वारा जिला न्यायाधीशों/अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के काडर के लिए विनियमों के अनुसार विहित और संचालित की गई है, इसकी सिफारिशों को इसके द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा, चयनित सूची में सम्मिलित और उच्च न्यायालय से ऐसी सिफारिशों की प्राप्ति पर सरकार नियम 9 के उपबन्धों के अध्याधीन उक्त काडर में ऐसे व्यक्तियों को न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी करेगी :

परन्तु यह कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के काडर के लिए इसके द्वारा संचालित लिखित के साथ–साथ मौखिक परीक्षा सहित प्रतियोगी परीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अपनी सिफारिशों को इसके द्वारा चयनित अभ्यर्थियों जिनका नाम चयनित सूची में सम्मिलित है नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से ऐसी सिफारिशों की प्राप्ति पर, सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से नियम 9 के उपबन्धों के अध्याधीन ऐसे व्यक्तियों के सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी करेगी।

नियम–9

उपयुक्तता, उपयुक्त चरित्र से सम्बन्धित शर्तें.––सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए चयनित कोई भी व्यक्ति तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि,–

(i) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान नहीं हो जाता कि वह अच्छे चरित्र का है और वह पूर्ण रूप से सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त है, और वह इस प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं कर दिया जाता है कि वह उस पद के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए चिकित्सीय रूप से उपयुक्त है जिसकी नियुक्ति के लिए उसे चयनित किया गया है।

नियम–10

परिवीक्षा और स्थानापन्न.––(1) सीधी भर्ती द्वारा सेवा के लिए समस्त नियुक्तियों के लिए 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी।

(2) प्रोन्नति द्वारा समस्त नियुक्तियां स्थानापन्न आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए की जाएंगी।

(3) यथास्थिति परिवीक्षा या स्थानापन्न के कारणों, को अभिलम्बित करके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जो उप–नियम (1) या (2) में यथाविनिर्दिष्ट परिवीक्षा या स्थानापन्न की प्रारम्भिक अवधि से अनधिक नहीं होगा।

(4) परिवीक्षा या स्थानापन्न की अवधि या यथास्थिति, परिवीक्षा या स्थानापन्न की विस्तारित अवधि की समाप्ति पर नियुक्ति प्राधिकारी, इस प्रकार नियुक्त या प्रोन्नत व्यक्ति द्वारा धारित पद, जिसके लिए उसे नियुक्त या प्रोन्नत किया गया था, की उपयुक्तता पर विचार करेगा, और

(i) यदि, यह विनिश्चित किया जाता है कि वह ऐसे पद को धारित करने के लिए उपयुक्त है जिसके लिए वह नियुक्त किया गया था और उसने यथास्थिति, परिवीक्षा या स्थानापन्न की अवधि के दौरान पारित करने के लिए अपेक्षित विशेष परीक्षा या परीक्षण यदि कोई हो, पारित कर दिया है, तो यह यथाशक्यशीघ्र उसकी परिवीक्षा या स्थानापन्न की अवधि को समाधानप्रद पूर्ण करने की घोषणा करने का आदेश जारी करेगा और ऐसा आदेश विस्तार की गई अवधि, यदि कोई है, सहित परिवीक्षा या स्थानापन्न की अवधि के अवसान की तारीख से प्रभावी होगा।

(ii) यदि नियुक्ति प्राधिकारी यह समझता है कि व्यक्ति उस पद को, जिस पर उसे, यथास्थिति, नियुक्त या प्रोन्नत किया गया था, धारित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यह आदेश द्वारा–

(क) यदि वह प्रोन्नत व्यक्ति है, उसे उस पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा जिस को कि वह ऐसी प्रोन्नति से पहले धारित कर रहा था; या

(ख) यदि वह परिवीक्षार्थी है तो उसे सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

नियम–11

परिवीक्षा की अवधि के दौरान परिवीक्षार्थी को सेवामुक्त करना.–नियम 10 में अन्तर्विष्ट किसी मत के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय परिवीक्षार्थी को, सेवा के लिए उसकी अनुपयुक्तता की बाबत सेवा से सेवामुक्त कर सकेगा ।

नियम–12

स्थाईकरण.–परिवीक्षार्थी, जिसकी परिवीक्षा अवधि की समाधानप्रद पूर्ण करने की घोषणा कर दी गई है और प्रोन्नत व्यक्ति जिसके स्थानापन्न की अवधि की समाधानप्रद पूर्ण करने की घोषणा कर दी गई

है, का यथास्थिति उस पद के प्रवर्ग में सेवा के सदस्य के रूप में जिसके लिये उसे नियुक्त या प्रोन्नत किया गया था, शीघ्रतम अवसर पर अधिष्ठायी रिक्ति जो विद्यमान या उत्पन्न हुई हो पर स्थाईकरण किया जाएगा ।

नियम–13

वरिष्ठता.–(1) जहां अधिकारी प्रोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा काडर में भर्ती किए गए हैं, उनकी वरिष्ठता ऐसी भर्ती के लिए अनुरक्षित रोस्टर द्वारा विनियमित की जाएगी । रोस्टर के उच्च बिन्दु में नियुक्त अधिकारी को निम्न बिन्दु में नियुक्त अधिकारी से वरिष्ठ रैंक में रखा जाएगा :

परन्तु यह कि काडर में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, वरिष्ठता के नियत करने के प्रयोजन के लिए, उसकी वास्तविक नियुक्ति की तारीख से असम्बद्ध किसी विशेष स्थान का दावा नहीं करेगा ।

(2) जहां काडर में एक ही समय में एक से अधिक अधिकारी प्रोन्नत किये जाते हैं, तो इस प्रकार प्रोन्नत व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता निम्न काडर में उसकी पारस्परिक वरिष्ठता द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

(3) जहां काडर के लिए सीधी भर्ती की गई है वहां इस प्रकार की भर्ती किए गए व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता ऐसे रखी जाएगी जैसे चयन सूची में उनके नाम क्रमांकित किए गए हैं ।

(4) प्रत्येक वर्ष जनवरी मास में समस्त काडर में अधिकारियों की वरिष्ठता सूची उच्च न्यायालय द्वारा तैयार और प्रकाशित की जाएगी और इस प्रकार प्रकाशित सूची को आगामी उच्चतर काडर में प्रोन्नति के संयोजन के लिए जारी किया जाएगा ।

नियम–14

अधिवर्षिता की आयु.–सेवा के सदस्य की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी :

परन्तु यह कि सेवा में 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व उच्च न्यायालय अधिकारी के अभिलेख के सन्दर्भ में, उनके निर्णयों की गुणवत्ता और सेवा में उसकी उपयोगिता की सम्भावना यह विनिश्चित

करेगी कि अधिकारी को या तो 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवा निवृत्त कर दिया जाए या उसे 60 वर्ष तक सेवा में विस्तार दिया जाए ।

नियम–15

लोक हित में सेवानिवृत्ति.–(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल उच्च न्यायालय की सिफारिशों पर, यदि उसकी यह राय है कि ऐसा करना लोक हित में समीचीन है उसे पूर्ण अधिकार होगा कि 58 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही लिखित में उसे तीन महीने से अन्यून अवधि का नोटिस देते हुए या ऐसे नोटिस के बदले में 3 महीने का वेतन और भत्ते देकर सेवा के किसी भी सदस्य को सेवानिवृत्त कर दिया जाए ।

(2) क्या सेवा के सदस्य को उप–नियम (1) के अधीन लोक हित में सेवा निवृत्त कर दिया जाना चाहिए या उस पर तीन बार विचार किया जाना चाहिए अर्थात् जब वह 50 वर्ष, 55 वर्ष, 58 वर्ष की आयु प्राप्त ही करने वाला हो, परन्तु यह कि उप–नियम (2) में किसी का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि उसमें उन वर्णित से अन्यथा सेवा में सदस्य को किसी भी समय लोकहित में सेवानिवृत्ति के प्रश्न के विचार से रोका जाए ।

नियम–16

अवशिष्टीय उपबन्ध.–उन विषयों के लिए जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, वही नियम यथावश्यक परिवर्तनों सहित सेवा के सदस्यों को लागू होंगे जो राज्य सरकार के वर्ग–1 के अधिकारियों को लागू हैं ।

नियम–17

प्रशिक्षण.–सीधी भर्ती के माध्यम से की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय को उस द्वारा समय–समय पर इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा सेवा में नियुक्त अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सारणियां (शैड्यूल) निर्विहित करने के लिए विकल्प होगा और ऐसे विनियमों में विहित ऐसे प्रशिक्षण पूर्ण होने पर ही अधिकारी नियमित नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

नियम–18

विभागीय परीक्षा.–इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् सेवा में सीधी भर्ती द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भर्ती की तारीख से दो वर्ष के भीतर, विहित मानक द्वारा, विभागीय परीक्षा पास करनी होगी और यदि कोई व्यक्ति विभागीय परीक्षा पास करने में असफल रहता है तो उसे सेवा से उन्मोचित/उस पद से जिससे उसे प्रोन्नत किया गया है और प्रतिवर्तित किया जा सकेगा । उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय परीक्षा का संचालन उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विरचित किए जाने वाले विनियमों के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु उच्च न्यायालय, ठोस और पर्याप्त कारणों के लिए, व्यक्ति द्वारा ऐसी परीक्षा पास करने की अवधि को बढ़ा सकेगा।

नियम–19

संचालन.–सेवा के सदस्य न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा तथा स्वतन्त्रता को बनाए रखेंगे और उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर बनाए या संसूचित किए न्यायिक आचार–शास्त्र (ज्यूडिशियल ऐथिक्स) का सख्ती से पालन किया जाएगा ।

नियम–20

शिथिल करने की शक्ति.–जहां कारणों को अभिलिखित करके राज्य सरकार का उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से विचार करके, समाधान हो जाता है कि सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में इन नियमों के किन्हीं विशेष उपबन्धों का प्रवर्तन किसी विशेष मामले या मामलों के वर्ग में, असम्यक कष्टकारित कर रहा है या इसके कारित होने की सम्भावना है तो सरकार उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिखित में आदेश द्वारा नियमों के ऐसे उपबन्धों को या ऐसे उपबन्धों से पैदा होने वाली ऐसी किसी अपेक्षा का, ऐसे विस्तार तक और ऐसी रीति में जैसी राज्य सरकार उचित, न्यायसंगत और साम्यपूर्ण समझे, अभिमोचन या शिथिलीकरण कर सकेगी ।

नियम–21

निर्वचन .–यदि इन नियमों के निर्वचन के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श के साथ विनिश्चित किया जाएगा ।

नियम–22

निरसन और व्यावृत्तियां.–(i) इन नियमों के प्रवृत्त होने पर हिमाचल प्रदेश हायर जूडिशियल सर्विस रूल्ज, 1973 और हिमाचल प्रदेश जूडिशियल सर्विस रूल्ज़, 1973 का निरसन हो जाएगा ।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव (गृह)।

युक्तिका (एडंडम)

शिमला–2, 17 मार्च, 2004

संख्या गृह–बी(बी)2–4/2002.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 16–3–2004 के क्रम को जारी रखते हुए, हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवाएं नियम, 2004 में निम्नलिखित अनुसूची जोड़ते हैं :–

अनुसूची

[नियम 3(2) देखें]

क्रमांक	संवर्ग	पदों की संख्या		कुल	वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई		
1	2	3	4	5	6
					मास्टर वेतनमान : 9000–250–10750–300 13150–350–15930–400– 19150–450–21850–500– 24850.
1.	जिला न्यायाधीश/ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश।	24	6+1 छुट्टी आरक्षित पद एवम् प्रतिनियुक्ति पर।	31	(क) प्रारम्भिक वेतनमान : 16750–400–19150–450– 20500 रुपये। (ख) चयन ग्रेड काडर (संख्या के 25% को) : 18750–400–19150–450 21850–500–22850 रुपये।

1	2	3	4	5	6
					(ग) सुपर टाइम वेतनमान : (काडर संख्या के 10% को) : 22850–500–24850 रुपये।
2.	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)	34	–	34	(क) प्रारम्भिक वेतनमान : 12850–300–13150–350 15950–400–17550 रुपये। (ख) सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के रूप में 5 वर्ष की सेवा के पश्चात् प्रथम चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमानः 14200–350–15950–400– 18350 रुपये । (ग) प्रथम चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमान में 5 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर द्वितीय चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमान : 16750–400–19150–450–20500 रुपये ।
3.	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)	54	–	54	(क) प्रारम्भिक वेतनमान : 9000–250–10750–300 13150–350–14550 रुपये। (ख) 5 वर्ष की सेवा के पश्चात् प्रथम चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमान : 10750–300–13150–350–14900 रुपये ।

1	2	3	4	5	6
					(ग) प्रथम एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा के पश्चात् द्वितीय चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमान : 12850–300–13150–350–15950–400–17550 रुपये ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव (गृह)।

[Authoritative English text of Govt. of Himachal Pradesh Home Department, Notification No. Home-B (B)2-4/2002, dated 16-3-2004, as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th March, 2004

No. Home-B (B)2-4/2002.—In exercise of the powers conferred by Articles 233, 234 & Proviso to Article 309 of the Constitution of India read with sub-section (1) of Section 4 of the H.P. Judicial Officers (Pay and Conditions of Service) Act, 2003 (Act No.10 of 2003) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh & the State Public Service Commission, is pleased to make the following rules regulating the recruitment & conditions of service of members of different cadres of H.P. Judicial Service:—

RULE—1

Short title and commencement.— (1) These rules may be called Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

RULE—2

Definitions.—(1) In these rules, unless the context requires otherwise,—

(*a*) "Act" means the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay and Conditions of Service) Act, 2003;

(*b*) "Appointing Authority" means the Governor of Himachal Pradesh;

(*c*) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(*d*) "Governor" means the Governor of Himachal Pradesh;

(*e*) "High Court" means the High Court of Himachal Pradesh;

(*f*) "Official Gazette" means Himachal Pradesh Rajpatra or the Gazette of Government of Himachal Pradesh by whatever other name it may be called;

(*g*) "Regulations" means the regulations framed by the High Court under these rules for the following purposes :—

(*i*) to prescribe the syllabus for the competitive examination and the suitability test to be conducted by the High Court for the cadre of District Judges/Addl. District Judges and the cadre of Civil Judges (Jr. Division),

(*ii*) allocation of the marks for written examination as well as oral (*viva voce*) test for the cadre of District Judges/Addl. District Judges and the cadre of Civil Judges (Jr. Division),

(*iii*) to send panel of experts to the H.P. Public Service Commission to conduct oral (*viva voce*) test for the cadre of Civil Judges (Jr. Division),

(*iv*) to prescribe the syllabus for and to conduct the departmental examinations for the different cadres of the H.P. Judicial Service,

(*v*) to prescribe the syllabus for and to conduct the special examinations or tests, if any, required to be passed during the period of probation or officiation in relation to all the appointments to the service by direct recruitment or by promotion,

(*vi*) to evaluate the performance of the Officers and assign marks for the competitive examination to be conducted by the High Court for the cadre of District Judges/Addl. District Judges,

(*vii*) to prescribe the format of application to apply for appointment to the service,

(*viii*) to evaluate the performance of the Officers (appointed to the service) in relation to departmental and special examinations or tests,

(*ix*) to prescribe the training schedules from time to time for the Officers appointed to the service through direct recruitment,

(*h*) "Schedule" means schedule appended to these rules;

(*i*) "Service" or "State Service" means the Himachal Pradesh Judicial Service; and

(*j*) "State" means the State of Himachal Pradesh.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined herein shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

RULE—3

Constitution of the Services—(1) On and from the date of commencement of these rules there shall be constituted State Service to be known as Himachal Pradesh Judicial Service consisting of the cadres of District Judges, Civil Judges (Senior Division) and Civil Judges (Junior Division).

(2) The service shall consist of the cadres specified in column (2) of the Schedule and the character and number of posts in each of these cadres shall be as specified in the corresponding entries in columns (3) to (5) thereof. The Schedule shall stand automatically amended on the basis of and in accordance with, the notification issued by the Government of Himachal Pradesh in

consultation with the High Court, from time to time varying or modifying the character or number of posts in the cadres or passing other orders to such effect.

(3) With effect from the date of commencement of these rules, the existing cadres specified in column (2) below shall stand designated as the cadres specified in the corresponding entries in column (1) below and they shall accordingly constitute the service:—

(1)	(2)
(a) District Judges/Addl. District Judges	(i) District & Sessions Judges (ii) Addl. District & Sessions Judges
(b) Civil Judges (Sr. Divn.)	(i) Senior Sub Judge-*Cum*-Chief Judicial Magistrates (ii) Addl. Chief Judicial Magistrates
(c) Civil Judges (Jr. Divn.)	(i) Sub Judge-*Cum*-J.M.

(4) Holders of 25% of the total number of posts in the cadre of District Judges and who have put in not less than five years of service in the cadre shall be granted selection grade and they shall be selected for inclusion/placement in this grade on the basis of merit-*cum*-seniority from the cadre of District Judges by the High Court & such District Judges who have been placed in the Selection Grade shall called "Selection Grade District Judges". Holders of 10% of the total number of posts in the cadres of District Judges, who have put in not less than three years of service as "Selection Grade District Judges" in the cadre, shall be granted "Super Time Scale" of pay. They shall be selected in this scale of pay on merit-*cum*-seniority basis by the High Court and shall be called as "Super Time Scale District Judges".

RULE—4

Appointing Authority—(1) The District Judges shall be appointed by the Governor in consultation with the High Court.

(2) The Civil Judges (Senior Division) shall be promoted by the High Court, Himachal Pradesh on the basis of merit-*cum*-seniority. Civil Judges (Junior Division) shall be appointed by the Governor in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission and High Court of Himachal Pradesh.

RULE—5

Method of recruitment, qualification and age limit.—In respect of each category of posts specified in column (2) of the Table below, the method of recruitment and minimum qualification, age limit etc. shall be as specified in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof.

TABLE UNDER RULE—5

Sl No.	Cadre	Method of recruitment	Qualifications, age limit and experience etc.
1	2	3	4
1.	District Judges/ Additional District Judges.	(a) 50% by promotion from amongst the Civil Judges (Sr. Divn.) on the basis of principal of merit-*cum*-seniority and passing a suitability test as may be prescribed & conducted by the High Court in accordance with the regulations.	Must have been in the cadre of Civil Judges (Sr. Divin.) for a period of not less than two years.
		(b) 25% by promotion from amongst Civil Judges (Sr. Divn.) on the basis of merit through limited competitive examination as may be prescribed & conducted by the High Court in accordance with the regulations.	Minimum service of five years including the service rendered in the cadre of Civil Judges (Junior Division).
		(c) 25% by direct recruitment, from amongst eligible Advocates, on the basis of examination, written as well as oral (*viva voce*) test as may be prescribed and conducted by the High Court in accordance with the regulations.	The following shall be the eligibility criteria, including qualifications, age limit and experience etc.– (i) citizen of India. (ii) Holder of a degree in Law as recognized by the bar Council of India., (iii) Practising Advocate at the Bar for a minimum period of seven years as on the last date fixed for receipt of the applications. *Note.*–For the purpose of this clause, in computing the period during which a person has been an Advocate there shall be included any period during which he has held a judicial office. ***Explanation I.***— Judicial Officer includes any other Office as may be prescribed being equivalent to a Judicial Office, by the High Court in the regulations made for this purpose.

1	2	3	4
			(iv) Must have attained the age of thirty-five years and must not have attained the age of forty-five years as on the last date prescribed for receipt of applications. ***Explanation-II.***– Appointments to the cadre of the Distt. Judges from categories (a), (b) & (c) shall be in accordance with 40 points roster to be maintained by the High Court in this behalf.
2.	Civil Judges (Sr. Division).	By promotion from the cadre of Civil Judges (Jr. Division) on the basis of merit-*cum*-seniority.	Minimum experience of five years in the cadre of Civil Judges (Jr. Division). *Note.*–The appointing authority, may in situations where Civil Judges (Jr. Division) with the aforesaid requisite experience are not available, relax the aforesaid minimum experience criteria but in no case shall such relaxation go below three years.
3.	Civil Judges (Jr. Divn.)	By direct recruitment on the basis of merit obtained in the competitive examination, written as well as oral (viva voce) tests to be conducted by the H.P. Public Service Commission.	The following shall be the eligibility eligibility criteria including the qualifications and age etc. (1) Citizen of India. (2) Holder of Degree in Law as recognized by the Bar Council of India (3) Age limit, minimum 22 years and Maximum 30 years (33) years in case of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/other prescribed reserved categories as on the last date prescribed for receipt of applications.

Provided that the direct appointments to the service shall be subject to the orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Backward Classes issued by the Himachal Pradesh Government, from time to time, and made applicable to such appointments, in consultation with the High Court.

Note.—Every candidate applying for direct recruitment, either for the post mentioned in 1 (*c*), or post mentioned at 3 above shall submit along with the application, certificates furnished by two respectable persons unconnected with him, testifying to his character and good behaviour as well as antecedents.

RULE—6

Disqualification for appointment and format of application.—(1) No person shall be eligible for appointment to the service :—

(*a*) If he has been dismissed from any previous service;

(*b*) If he has been convicted of any offence involving moral turpitude or has been bound down for good conduct under the provisions contained in Chapter VIII of the Code of Criminal Procedure, or has been permanently debarred/disqualified from appearing in any examination or selection;

(*c*) If he is found either directly or indirectly influencing the selection process in any manner;

(*d*) If he is a man, has more than one wife living and if a woman, has married a man already having another wife; or

(*e*) If he is an undischarged insolvent.

2. Every person applying for appointment to the service, at the bottom of the application in the format to be prescribed in the regulations, shall give a declaration that he does not suffer from any of the aforesaid disqualifications and also that he conforms to all the eligibility criteria. The declaration shall also contain his undertaking that if the same is found false or incorrect, his candidature shall be liable to be cancelled or if appointed, his appointment shall also be annulled.

RULE—7

Pay and allowances.— (1) The Judicial Officers shall be paid the pay scales, as specified in column No. 6 of the schedule. Dearness allowance and other allowances, as notified from time to time by the State Govt. shall also be admissible :

Provided that no member of the service shall be entitled to draw his subsequent annual increments, unless he passes, by the prescribed standard, the departmental examination.

Explanation.— (i) The stoppage of increment for failure to pass departmental examination shall not be considered to be a penalty.

(ii) The increment or increments shall be released from the due date retrospectively to a judicial officer if he passes the departmental examination within the probation period.

(iii) The increment of increments shall be released to member of the service after he/she has passed the departmental examination.

(2) The Pay of the members of the service shall be fixed where necessary under the provision of the rules in force in Himachal Pradesh, from time to time, provided that where the increment of a member is withheld for his failure to pass the departmental examination he shall not be entitled, before he passes the departmental examination by the prescribed standard, to the re-fixation of pay on the basis of enhancement in his substantive or officiating pay the time scale of the post held by him prior to his appointment to the service. However, during this period he may be allowed his substantive pay, from time to time, if the same happens to be more than his officiating pay in the service.

RULE—8

Direct appointment to the posts of District Judges and Civil Judges (Junior Division).— The High Court shall, after completing the process of competitive examination, as may be prescribed and conducted by it in accordance with the regulations for the cadre of the District Judges Additional Distt. Judges, forward its recommendations to the State Government for appointment of the candidates selected by it, as included in the select list and on receipt of such recommendations from the High Court, the Government shall subject to the provisions of Rule 9 issue notification appointing such persons as Judicial Officers in the said cadre :

Provided further that the Himachal Pradesh Public Service Commission shall after completing the process of the competitive examination, written as well as oral (*viva voce*) test to be conducted by it for the cadre of Civil Judges (Jr. Division) forward its recommendations to the State Government for appointment of candidates selected by it, as included in the select list and on the receipt of such recommendations from the H.P. Public Service Commission, the Government in consultation with High Court subject to provisions of Rule 9 may issue notification appointing such persons as Civil Judges (Jr. Division).

RULE—9

Conditions relating to suitability, fitness character.—No person selected for appointment by direct recruitment shall be appointed :—

(*i*) unless the appointing authority is satisfied that he is of good character and is in all respects suitable for appointment to the service; and

(*ii*) unless he is certified by the medical authority specified by the High Court for the purpose that he is medically fit to discharge the duties of the post to which he is selected for appointment.

RULE—10

Probation and officiation .—(1) All appointments to the service by direct recruitment shall be on probation for a period of two years.

(2) All appointments by promotion shall be on officiating basis for a period of two years.

(3) The period of probation or officiation, as the case may be for reasons to be recorded, in writing, may be extended by the appointing authority by such period not exceeding the initial period of probation or officiation as specified in sub-rule (1) or (2).

(4) At the end of the period of probation or officiation or the extended period of probation or officiation as the case may be, the appointing authority shall consider the suitability of the person so appointed or promoted to hold the post to which he was appointed or promoted and—

(*i*) If it decides that he is suitable to hold the post to which he was appointed and has passed the special examinations or tests, if any, required to be passed during the period of probation of officiation, as the case may be, it shall as soon as possible, issue an order declaring him to have satisfactorily completed the period of probation or officiation, and such an order shall have effect from the date of expiry of the period of probation or officiation including extended period, if any.

(*ii*) If the appointing authority considers that the person is not suitable to hold the post to which he was appointed or promoted, as the case may be, it shall, by order:—

(*a*) If he is a promotee, revert him to the post which he held prior to his promotion: or

(*b*) If he is a probationer, discharge him from service.

RULE—11

Discharge of a probationer during the period of probation.—Notwithstanding anything contained in rule 10, the appointing authority may, at any time during the period of probation, discharge from services, a probationer on account of his unsuitability for the service.

RULE—12

Confirmation.—A probationer who has been declared to have satisfactorily completed his probation and a promotee who has been declared to have satisfactorily completed his period of officiation shall be confirmed as a member of the service in the category of post to which he was appointed or promoted, as the case may he, at the earliest opportunity, in a substantive vacancy which may exist or arise.

RULE—13

Seniority :— (1) Where Officers are recruited to a cadre by promotion and direct recruitment; seniority shall be regulated by the roster maintained for such recruitment. Officer appointed against higher point of roster shall rank senior to the Officer appointed against a lower point:

Provided that no person appointed to a cadre by direct recruitment shall, for the purpose of fixation of his seniority claim any particular place in seniority unconnected with the date of his actual appointment.

(2) Where more than one Officers are promoted to cadre at the same time *inter-se* seniority of persons so promoted shall be determined by their *inter-se* seniority in the lower cadre.

(3) Where direct recruitment is made to a cadre, the *inter-se* seniority of persons so recruited shall be in the order in which their names are arranged in the select list.

(4) Every year in the month of January seniority list of Officers in all cadres shall be prepared and published by the High Court and the lists so published shall be issued for the purpose of making promotions to the next higher cadres.

RULE—14

Age of superannuation.—The age of superannuation of a member of the service shall be sixty years:

Provided that before the completion of fifty eight years of service, the High Court, with reference to the record of the Officer, quality of his judgements and his potential of utility in service, shall decide either to retire the Officer on completion of fifty eight years of service or grant him extension upto sixty years.

RULE—15

Retirement in public interest.—(1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Governor shall, on the recommendations of the High Court, if he is of the opinion that it is in the public interest so to do, have the absolute right to retire any member of the service who has attained their age of fifty years, by giving him notice of not less than three months, in writing, or three months pay and allowances in lieu of such notice.

(2) Whether a member of the service should be retired in public interest under sub-rule (1) shall be considered at least three times, that is, when he is about to attain the age of 50 years, 55 years and 58 years:

Provided that nothing in sub-rule (2) shall be construed as preventing the consideration of question of retirement of a member of the service in the public interest at any time other than those mentioned therein.

RULE—16

Residuary provision.— For the matters not specified in these rules, the rules as are applicable to Class-I Officers of the State Government, shall *mutatis mutandis* be applicable to the members of the service.

RULE—17

Training.— With respect to appointments made through direct recruitment, it shall be open to the High Court, by regulations made in this behalf, from time to time, to prescribe training schedules for the Officers appointed to the service and only on completion of such training as prescribed in such regulations, shall the Officers be eligible for regular appointment.

RULE—18

Departmental Examination .— Every person appointed by direct recruitment to the service after the commencement of these rules shall pass the departmental examination by the prescribed standard within two years from the date of his appointment and if any candidate fails to pass the departmental examination, he may be discharged from service/reverted to the post from which he was promoted. The departmental examination shall be conducted by the High Court in accordance with the regulations to be framed in this behalf, by the High Court:

Provided that the High Court may, for good and sufficient reasons, extend the period within which the person shall so pass the examination.

RULE—19

Conduct.— The members of the service shall uphold the integrity and independence of Judiciary and shall also observe strict Judicial ethics, which have been or may be communicated by the High Court, form time to time.

RULE—20

Power to relax.— Where, for reasons to be recorded in writing, the State Government in consideration with the High Court and Himachal Pradesh Public Service Commission is satisfied that operation of any particular provisions of these rules with respect to conditions of service, causes or is likely to cause undue hardship in any particular case or class of cases, the State Government may by order in writing in consultation with the High Court and Public Service Commission dispense with or relax such provisions of the rules or any such requirement as originating from such provisions to such extent and in such a manner as the State Government may deem proper, just or equitable.

RULE—21

Interpretation.— If any question arises as to the interpretation of these rules, the same shall be decided by the State Government, in consultation with the High Court.

RULE—22

Repeal and Savings .— (*i*) On the coming into force of these Rules, the Himachal Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1973 and the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 1973, shall stand repealed.

(*ii*) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the above rules be deemed to have been validly done or taken under these rules.

By order,

Sd/-
Principal Secretary (Home).

HOME DEPARTMENT

"ADDENDUM"

Shimla-2, the 17th March, 2004

No. Home-B(B)2-4/2002.— In continuation of this department notification of even number dated 16-3-2004, the Governor, Himachal Pradesh is *pleased to add* the following schedule to Himachal Pradesh Judicial Serivces Rule, 2004:—

SCHEDULE

[*See* rule 3 (2)]

Sl. No.	Cadres	No. of posts			Pay scale
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
					Master pay Scale Rs. 9000-250-10750-300-13150-350-15950-400-19150-450-21850-500-24850.
1.	District Judges/ Addl. Distt. Judges.	24	6+1 (Leave Reserve-*cum*-Deputation).	31	(*a*) **Initial Scales** Rs. 16750-400-19150-450-20500. (*b*) **Selection Grade** (25% of the cadre strength): Rs. 18750-400-19150-450-21850-500-22850.

1	2	3	4	5	6
					(*c*) **Super Time Scale** (10% of the cadre strength) : Rs. 22850-300-24850.
2.	Civil Judges (Sr. Divn.).	34	—	34	(*a*) **Initial Scale** Rs. 12850-300-13150-350-15950-400-17550.
					(*b*) 1st Stage Assured Career Progression Scale after five years service as Civil Judge (Senior Division) : Rs. 14200-350-15950-400-18350.
					(*c*) 2nd Stage Assured Career Progression Scale (on completion of five years service in Assured Career Progression 1st Stage Scale): Rs. 16750-400-19150-450-20500.
3.	Civil Judges (Jr. Divn.).	54	—	54	(*a*) **Initial Pay Scale** Rs. 9000-250-10750-300-13150-350-14550.
					(*b*) 1st Stage Assured Career Progression Scale (after five years service) : Rs. 10750-300-13150-350-14900.
				(*c*)	2nd Stage Assured Career Progression Scale (after 5 years service in the 1st stage Assured Career Progression Scale): Rs. 12850-300-13150-350-15950-400-17550.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Home).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।